सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–4944/2026 (नीतू कुमारी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक 09.04.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में वादीगण के अभ्यावेदन के निष्पादन हेतु दिनांक 11.05.2026 को अपराह्न 4:30 बजे निर्धारित सुनवाई में की कार्यवाही (अंतरिम आदेश सहित)।

---

1. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा संदर्भित वाद में दिनांक 09.04.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में वादीगण के अभ्यावेदन के निष्पादन हेतु दिनांक 11.05.2026 को अपराह्न 4:30 बजे निर्धारित सुनवाई की सूचना सभी संबंधितों को विभागीय पत्रांक 649 दिनांक 04.05.2026 द्वारा दी गई थी।

2. सुनवाई के लिए निर्धारित समय पर मामले से संबंधित 79 वादीगण के सापेक्ष 41 वादीगण एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पदाधिकारी/कर्मी उपस्थित हुए।

3. सुनवाई के क्रम में प्रत्येक वादीगण का पक्ष बारी–बारी से सुना गया। वादीगणों द्वारा मूलतः निम्न बाते रखी गई–

(i) परीक्षा के उपरान्त औपबंधिक उत्तर कुंजी बोर्ड द्वारा जारी किया गया था, परन्तु अन्तिम त्रुटिरहित उत्तर कुंजी जिस आधार पर अन्तिम परीक्षा प्रकाशित किया गया है, उसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

(ii) विभिन्न विषयों के उत्तर कुंजी में त्रुटि के संबंध में कतिपय वादीगणों द्वारा बोर्ड के समक्ष दायर किये गये आवेदन के अनुरूप उन्हें प्राप्तांक प्राप्त नहीं हुआ।

(iii) कतिपय विषयों के प्रश्न पत्रों में कई प्रश्न पूर्ण रूप से गलत पूछा गया था/चारों विकल्प गलत थे/प्रश्न दोहराया गया था। इन प्रश्नों के आलोक में अभ्यर्थियों को उस प्रश्न का अंक दिया जाय।

(iv) समिति के विज्ञापन में उल्लिखित कोटिवार उत्तीर्णांक सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–2374 दिनांक 16.07.2007 के अनुसार नहीं है।

4. कतिपय वादीगणों द्वारा उनके विषय से संबंधित प्रश्न/उत्तर कुंजी के त्रुटियों के आलोक में उनके द्वारा लिखित अभ्यावदेन समर्पित किया गया।

5. वादीगणों के पक्ष के सुनवाई के उपरान्त निम्नांकित आदेश दिया जाता है :–

(i) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को निदेश दिया जाता है कि इस वाद से संबंधित सभी वादीगणों को उनके विषय से संबंधित अन्तिम उत्तर कुंजी की प्रति एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(ii) कतिपय वादीगणों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन की प्रति समिति को उपलब्ध कराते हुए समिति को निदेश दिया जाता है कि इनके द्वारा दर्ज कराये गये आपत्तियों का निराकरण करते हुए संबंधित वादीगण को उपलब्ध करायेगे तथा अगली सुनवाई तिथि को प्रस्तुत करेंगे।

(iii) इस मामले में अगली सुनवाई दिनांक 25.05.2026 को अपराह्न 4:30 बजे विभागीय सभागार में निर्धारित किया जाता है। अगली सुनवाई हेतु एक ऑनलाईन लिंक भी उपलब्ध कराया जायेगा।

(iv) अगली सुनवाई की तिथि, समय, माध्यम एवं स्थान से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निदेशालय स्तर से इस निर्णय की प्रति विभागीय बेवसाईट पर प्रदर्श करते हुए उक्त जानकारी हेतु दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाए।

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 09/मु०–11–70/2026 ......690...... पटना, दिनांक ....12/05/2026....

प्रतिलिपि : परीक्षा नियंत्रक (विविध), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/ सभी संबंधित वादीगण/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,